प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 30.07.2025

नगर जोन, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के सभी थानों व सर्विलांस/स्वाट टीम द्वारा भिन्न-भिन्न कम्पनियों के कुल 211 मोबाइल (अनुमानित कीमत 45 लाख रुपये) रिकवर कर मोबाइल स्वामियों को लौटाये गये।

सी0ई0आई0आर0 (सेन्ट्रल इकीपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर) पोर्टल पर नगर जोन कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर मोबाइल चोरी, स्नैचिंग व मोबाइल खोने आदि की प्राप्त शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए नगर जोन पुलिस टीम द्वारा मोबाइल जिनकी अनुमानित कीमत करीब 45 लाख रुपये है, की बरामदगी की गई है। सर्विलांस टीम द्वारा मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए तकनीकी साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया गया। बरामद किये गये मोबाइल फोन को मोबाइल फोन के स्वामियों की पहचान कर प्रदान किये गये।

थानावार मोबाइल बरामदगी का विवरणः-

1. थाना कोतवाली नगर – 68
2. थाना विजयनगर – 24
3. थाना सिहानीगेट – 36
4. थाना नंदग्राम – 34
5. थाना कविनगर – 15
6. थाना मधुबन बापूधाम – 24
7. थाना साइबर – 10

कुल योग – 211

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 18.07.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 17 वर्ष को बहला फुसलाकर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा 137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पीडिता की तलाश हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा पीडिता को बरामद किया गया तथा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान पीडिता के बयानों के आधार पर

उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त वरूण पंडित उर्फ मुकुल शर्मा पुत्र नरेश शर्मा निवासी गली नम्बर-08, राजीव गार्डन लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष का नाम प्रकाश में आया तथा धारा 64(1) बीएनएस व धारा 5L/6 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी।

दिनांक 29.07.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त वरूण पंडित उर्फ मुकुल शर्मा पुत्र नरेश शर्मा निवासी गली नम्बर 08, राजीव गार्डन लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान उक्त घटना कारित करना स्वीकार किया गया तथा बताया कि पीडिता मेरे मोहल्ले में रहती है इसलिये उससे धीरे – धीरे मेरी जानकारी हो गई थी और फिर मैं उससे बात करने लगा था। एक दिन मैं पीड़िता को बहला फुसलाकर बाहर ले गया था तथा उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

वरूण पंडित उर्फ मुकुल शर्मा पुत्र नरेश शर्मा निवासी गली नम्बर 08, राजीव गार्डन लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 किलो 120 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

दिनांक 29.07.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा गस्त व चेकिंग के दौरान अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाला अभियुक्त हरजीत पुत्र सन्तोष कुमार निवासी कृष्णा नगर बागू थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद मूल पता गांव हस्तिनापुर थाना भोगांव जिला मैनपुरी उम्र करीब 33 वर्ष को रिछपाल गढी की पुलिया के पास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 02 किलो 120 ग्राम गांजा अवैध बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर धारा 8/20 NDPS ACT के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर अपने जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि मैं दिल्ली से चोरी छिपे गांजा लेकर आता हूं तथा उस गांजे की छोटी-छोटी पुडिया बनाकर राह चलते लोगों को बेच कर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

हरजीत पुत्र सन्तोष कुमार निवासी कृष्णा नगर बागू थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद मूल पता गांव हस्तिनापुर थाना भोगांव जिला मैनपुरी उम्र करीब 33 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उक्त अवैध गांजा बरामदगी के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

02 किलो 120 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा अज्ञात महिला की हत्या की घटना का शीघ्र अनावरण करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त की निशानदेही पर आलाकत्ल बरामद।

दिनांक 28.07.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर सूचना प्राप्त हुई कि एक अज्ञात महिला का शव सैन विहार नाले में पडा है इस सूचना पर तत्काल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा शव को नाले से बाहर निकालकर शव का पंचायतनामा/पोस्टमार्टम की कार्यवाही की गयी तथा अज्ञात महिला के शव की शिनाख्त हेतु थाना स्तर से 03 टीमों का गठन किया गया तथा अथक प्रयास के उपरान्त मृतक महिला की शिनाख्त की गयी जिसकी शिनाख्त पूजा निवासी दिल्ली के रूप में हुई तथा हत्या करने तथा शव को छिपाने के उद्देश्य से नाले में फेकने वाले अभियुक्त की तलाश हेतु घटना स्थल के आस पास सीसीटीवी कैमरो की फुटेज को चेक किया गया तथा मैनुअल इन्पुटस के आधार पर घटना का 10 घंटे के भीतर सफल अनावरण किया गया।

आज दिनांक 30.07.2025 को उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त नजर मोहम्मद उर्फ राजू उर्फ नाजिम पुत्र फतेह खान हाल निवासी मस्जिद वाली गली सैन विहार थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद मूल पता असौडा पैठ इकरा स्कूल के पास थाना कोतवाली देहात हापुड उम्र करीब 42 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की निशानदेही पर आलाकत्ल ईंट बरामद की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तद्वारा पूछताछ पर बताया कि मैं मृतका को काफी समय से जानता था तथा मेरी मृतका पूजा से दोस्ती थी और 04 साल पहले हमारा एक दूसरे के घर आना जाना था परन्तु उसके बाद हम दोनो का एक दूसरे से सम्पर्क टूट गया था, परन्तु कुछ समय पहले मेरी मुलाकात फिर से मृतका पूजा से हो गयी थी और फिर से मेरा मृतका पूजा के घर आना-जाना हो गया था, दिनांक 26.07.2025 को मृतका पूजा मुझसे मिलने के लिए मेरे कमरे पर आयी थी,उसके पास कुछ सोने चांदी के गहने थे। जिनके लालच में आकर मैंने , दिनांक 26.07.2025 की रात्रि में मृतका पूजा के

सिर पर ईट से वार कर उसकी हत्या कर दी तथा शव को छिपाने के उद्देश्य से अपनी स्कूटी के आगे पायेदान पर रखकर शव को सैन विहार नाले में हाईवे के किनारे डाल दिया था। मुझे इस बात की जानकारी थी कि मृतका पूजा का कोई परिजन उसके साथ नही रहता है तो उसकी कोई जानकारी नही करेगा, परन्तु आज पुलिस ने मुझे पकड लिया तथा मृतका के पास 01 मोटी सोने की चैन थी जिसको बेच कर 93 हजार रुपये आये थे उनमे से मैंने 01 छोटी सोने की चैन बनवा ली तथा कुछ पैसे खर्च हो गये। मुझसे जो 39 हजार 500 रुपये व सोने की चैन व चांदी की पायल आदि बरामद हुए है ये वे ही है जिनके लालच में आकर मैंने मृतका की हत्या कर दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

अभियुक्त नजर मोहम्मद उर्फ राजू उर्फ नाजिम पुत्र फतेह खान हाल निवासी मस्जिद वाली गली सैन विहार थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद मूल पता असौडा पैठ इकरा स्कूल के पास थाना कोतवाली देहात हापुड उम्र करीब 42 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर हत्या से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है।अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी विवरण

अभियुक्त की निशानदेही पर आलाकत्ल ईंट व शव को छिपाने में प्रयुक्त स्कूटी व मृतका के 39 हजार 500 रुपये व पीली धातु की चैन व सफेद धातु की पायल आदि बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना वेव सिटी पर दिनांक 16.07.2025 को वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त सूरज उर्फ सूर्या पुत्र जगवीर सिंह निवासी ग्राम रतरोई थाना गंगीरी जनपद अलीगढ हाल पता ग्राम शाहपुर बम्हैटा थाना वेवसिटी गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्री के साथ गलत काम करना तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना वेव सिटी पर धारा 65(1)/351(3) बीएनएस व 5L/6 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 30.07.2025 को थाना वेवसिटी पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सूरज उर्फ सूर्या पुत्र जगवीर सिंह निवासी ग्राम रतरोई थाना गंगीरी जनपद अलीगढ हाल पता ग्राम शाहपुर बम्हैटा थाना वेवसिटी गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैंने पीडिता के साथ मौका पाकर उक्त घटना कारित की थी तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सूरज उर्फ सूर्या पुत्र जगवीर सिंह निवासी ग्राम रतरोई थाना गंगीरी जनपद अलीगढ हाल पता ग्राम शाहपुर बम्हैटा थाना वेवसिटी गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध थाना वेवसिटी पर उक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

थाना वेव सिटी पुलिस टीम

सुरक्षा चक्र अभ्यास

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं भारतीय सेना की पश्चिमी कमान, मुख्यालय दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहभागिता से जनपद गाजियाबाद में **सुरक्षा चक्र अभ्यास EXERCISE SURAKSHA CHAKRA" Integrated Disaster Management Symposium And Mock Exercise For State Of Delhi & NCR I.E. Earthquake And Industrial Chemical Hazards"** विषय पर मॉक एक्सरसाइज का आयोजन दिनांक **01 अगस्त 2025** को प्रातः **09.00** बजे से गाजियाबाद के विभिन्न चिह्नित स्थलों पर किया जाना है। यह अभ्यास आपदा प्रबंधन और प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। जिसका उद्देश्य विभिन्न आपदाओं, जैसे भूकंप, बाढ़, और अन्य आपातकालीन स्थितियों में त्वरित और समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है।

मॉक एक्सरसाइज हेतू चिह्नित स्थलों का विवरणः-

1. इंग्राहम इंटर कॉलेज राजनगर ,गाजियाबाद
2. वीवीआईपी (VVIP) एड्रेसिस सोसाइटी नूर नगर राजनगर, गाजियाबाद
3. इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड टीला शहबाजपुर लोनी, गाजियाबाद
4. मोदीनगर तहसील , सरकारी भवन
5. जिला संयुक्त चिकित्सालय सेक्टर -23, संजय नगर, गाजियाबाद

मॉक एक्सरसाइज के सहायतार्थ अन्य चिह्नित स्थलः-

- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/ ई0ओ0सी0 कक्ष गाजियाबाद
- यशोदा अस्पताल (मेडिकल कैम्प)
- स्टेजिंग एरिया (रेस्क्यू टीम)
- जल निगम कार्यालय गाजियाबाद (राहत शिविर)

सभी नागरिको से अनुरोध है कि यह आपदा प्रबंधन अभ्यास एक पूर्व नियोजित अभ्यास है यह किसी भी वास्तविक आपदा की स्थिति नहीं है। यह अभ्यास प्रशासन द्वारा भविष्य में घटित किसी भी आपदा में जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। कृपया उक्त अभ्यास के समय

आपको घबराना नहीं है, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है एवं प्रशासन का सहयोग करते हुए अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना है।

आपका सहयोग ही हमारी सुरक्षा की सबसे बड़ी शक्ति है।